

Form No. III  
**फर्द अहकाम**  
 (नियम 26)

1

आज दिनांक तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्थान श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर सरकार बनाम जगदीश - सुल्तान उर्फ सोहन गार जीरास

किस्त मुकदमा राज.उप.अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत सं. 65 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
7/01/2018	<p>पटवारी हल्का <u>15 BLD A</u> ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. <u>1 L 5 M</u> के मुरब्बा नं. <u>236</u> के <u>0.912 ई</u> बीघा, भूमिरकबा <u>417</u> राज है जिस पर श्री <u>जगदीश - सुल्तान उर्फ सोहन गार</u> पुत्र श्री <u>गाजीराम</u> जाति <u>वार</u> सा <u>मादगावा</u> ने अतिक्रमण कर सम्बत् <u>2074</u> फसल <u>रबी</u> नाजायज काश्त कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावे।</p> <p>पत्रावली दिनांक <u>20/02/2018</u> को पेश है।</p>	<p><u>श्री जगदीश कपूर 89</u>  <u>25/1/18</u></p> <p><u>श्री सोहन कपूर 90</u>  <u>25/1/18</u></p>
20-2-18	<p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया।</p>	

31518 पञ्चावली अष्टरुडई I.L.R. 12021...  
 द्वारा निवामी अष्टरु की गई सर्वाधिक  
 कोलीदाता श्रेयपनाश 510 साहव शप की  
 360/रु की शरी इम्त बोली सीमा की  
 गई I.L.R. द्वारा निवामी शरीर वरिये प्यावक  
 नर 5 रु. 31518 द्वारा राजकोष मे जमा करवा  
 दी गई ई जो शामिल मिलल की जेबे एव मांगे की  
 लोवा की जेबे प्यवाी शब्दा द्वारा ठाणिकमी को  
 वेदावल रु. करवा वरुव लरुमा अरुह रु. लिमाग  
 पञ्चावली के शेष कार्य बाहर अपेक्षित नही ई पञ्चावली  
 को सवा हुमा होकर दारीव इमल हो?

परजिल्लर की पृष्ठ सं... 6... प्र. सं... 62...

दिनांक 15.5.18. राशि 360... दर्ज किया।

23

# न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर



करण सं० ..... 65/11B.....

वर्ष ..... 2018.....

राजस्थान सरकार बनाम .....  
 प्रतिपक्षी सुल्तान/असौदनलाल जाट/गाजीराम

तुष्टिकरण दिनांक ..... 25-1-18..... निर्णय दिनांक ..... 20-2-18.....

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिहास जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
20/2/18	<p>पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्यक् 2074... में भूमि रकबा राज दर्ज है।</p> <p>अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का ..... 15810A..... का प्रतिवेदन दिनांक 25-1-18..... को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी 12276A... पुत्र ..... गाजीराम..... जाति ..... जाट..... निवासी ..... पत्रावाली..... को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक 11603... मु.नं. 236/47... कुल 0.912... है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का ..... 10..... गुणा राशि 73..... शांति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 12810A को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 20-2-18..... को लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">               तहसीलदार (राजस्व)              श्री विजयनगर         </p> <p>             'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं..... 6..... की क्रम सं. .... 05..... दिनांक 12-3-18... को ..... 73..... दर्ज किया गया।         </p> <p style="text-align: right;">               ता 0 रा 0 ले 0         </p>	